तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संतोष कुमार मीना बनाम लो.सू.अ. (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 179 / 2020	

13.11.20

अपीलार्थी संतोष कुमार मीना पुत्र खेमराज मीना, पता रसीदपुर, तहसील महवा जिला दौसा ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.09.20 में उसके द्वारा (1) अध्यापक भर्ती परीक्षा 2012 ग्रेड–तृतीय में चयनित सभी अभ्यर्थीयों की सूची तथा उनके पेपर अंक व RTET के अंकों की सूची प्राप्त कराये व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) से जरिये पत्रांक 9791 दिनांक 27.10.20 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि इस कार्यालय के पत्रांक 9513 दिनांक 25.09.2020 के द्वारा श्री मीना को 15 दिवस में कार्यालय समय में उपस्थित होकर सूचना चिन्हित कर निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करने हेतु लिखा गया था। श्री मीना द्वारा दिनांक 12.10.2020 को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया की वह बीपीएल परिवार के है एवं सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे, जिसके संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 9704 दिनांक 16.10.2020 के द्वारा श्री मीना को लिखा गया कि आप कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना चिन्हित करें एवं यदि आप बीपीएल श्रेणी में आते है तो आप बीपीएल श्रेणी का प्रमाण पत्र साथ लावे। रिपोर्ट में आगे कहा कि श्री मीना आज तक कार्यालय में उपस्थित ना तो सूचना चिन्हित की है एव ना ही बीपीएल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बिन्दु संख्या 1 व 5 से संबंधित सूचना का उल्लेख किया है उसके बावजूद भी लोक सूचना अधिकारी ने प्रार्थी को कार्यालय समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना चिन्हित करने का पत्र जारी किया। प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना किस प्रकार अस्पष्ट है जिस कारण लोक सूचना अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराना कठिनाई हो रही हो, एवं लोक सूचना अधिकारी ने पत्र में कारण उल्लेखित नहीं है। प्रथमतः प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अपने आपको बी.पी.एल. परिवार का सदस्य होना बताया है तथा बी.पी.एल. होने का राशनकार्ड की प्रति भी संलग्न की गई फिर भी उससे प्रमाण पत्र चाहा जा रहा है। द्वितीयत सूचना नियत शुल्क से दी

लगातार...

Signature Not Verified
Digitally signed by Anop Singh In
Date: 2020.12.08 14:25:32 IST
Reason: SelfAttested

जानी है तो कितना शुल्क राशि जमा करानी है पत्र में उस राशि का उल्लेख करना चाहिए, जो नहीं किया गया। पत्रावली के संलग्न प्रति बी.पी. एल. परिवार राशनकार्ड (बारकोड सं0 007815301833) की कार्यालय स्तर पर ऑनलाईन रिपोर्ट लेने से भी स्पष्ट होता है कि उक्त राशनकार्ड आज तक एक्टिव है तथा बी.पी.एल. के रूप में खाद्य सामग्री प्राप्त की जा रही है। प्रथम दृष्टया प्रार्थी बी.पी.एल. परिवार का सदस्य है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना तैयार न कर प्रार्थी को कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना चिन्हित करने का पुनः पत्र जारी करना विधिक प्रावधानों का आत्मसात् न करने का फल है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) को नि[illegible] किया जाता है कि चाही गई सूचना प्रार्थी को [illegible] दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारण से प्रार्थी [illegible] अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ [illegible] प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Ve
Digitally signed by A
Date: 2020.12.08 14
Reason: SelfAttested